



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
 (उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
 शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार
 14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या: 550 / मा०स०(04) / उ०नि०लि० / 2009-43-मा०स०(04) / 2008

दिनांक 26 मई, 2009

विषय:- वार्षिक वेतन वृद्धि की अनुमन्यता तथा पदोन्नति पर मूल नियम-22^{वीं} के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के लिए तिथि के लिए विकल्प के सम्बन्ध में।

कार्यालय ज्ञाप

निगम के कार्मिकों हेतु दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना प्रभावी किए जाने तथा उनके वेतन निर्धारण किए जाने सम्बन्धी आदेश संख्या 320 / मा०स० (04) / उ०नि०लि० / 2009-43-मा०स० (04) / 2008 दिनांक 28.02.2009 को जारी किया गया तदनुसार समस्त कार्मिकों की वेतन वृद्धि की तिथि दिनांक 01 जुलाई रखी गई है। उक्त आदेश के प्रस्तर-8 (1) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

पूर्व आदेशित व्यवस्था	प्रतिस्थापित व्यवस्था
8 (1) वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि एक समान अर्थात् प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई होगी। 01 जुलाई को पुनरीक्षित वेतन संरचना में 06 माह अथवा अधिक अवधि पूर्ण करने वाले कर्मचारी वेतन वृद्धि प्राप्त करने के पात्र होंगे। इस प्रकार ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अपनी गत वेतन वृद्धि दिनांक 02.01.2005 से दिनांक 01.01.2006 के मध्य अर्जित की है, उन्हें पुनरीक्षित वेतन संरचना में अंगली वेतन वृद्धि दिनांक 01.07.2006 को देय होगी।	8 (1) वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि एक समान अर्थात् प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई होगी। 01 जुलाई को पुनरीक्षित वेतन संरचना में 06 माह अथवा अधिक अवधि पूर्ण करने वाले कर्मचारी वेतन वृद्धि प्राप्त करने के पात्र होंगे। इस प्रकार ऐसे कर्मचारी जिनकी आगामी वेतन वृद्धि दिनांक 01.01.2006 को अर्जित होती हो उन्हें अपुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 01.01.2006 को वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान करते हुए पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारित किया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में आगामी वेतन वृद्धि दिनांक 01.07.2006 को देय होगी।

पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण

पुनरीक्षित वेतन संरचना की व्यवस्था लागू होने के फलस्वरूप किसी भी कार्मिक की पदोन्नति अथवा समयबद्ध वेतनमान की अनुमन्यता होने पर सम्बन्धित कार्मिक को वित्तीय नियम-23 (1) के अन्तर्गत यह विकल्प होगा कि वह पदोन्नति / समयबद्ध वेतनमान की तिथि अथवा अगली वेतन वृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु अपना विकल्प दे सकता है।

पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा :-

- यदि सम्बन्धित कार्मिक पदोन्नति पर निम्न पद की वेतन वृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है तो पदोन्नति की तिथि को वेतन बैण्ड में वेतन अपरिवर्तित रहेगा किन्तु उच्च पद का ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। अगली

(2)

वेतन वृद्धि की तिथि अर्थात् 01 जुलाई को वेतन पुर्ननिर्धारित होगा। इस तिथि को सम्बन्धित कार्मिक को दो वेतन वृद्धियाँ एक वार्षिक वेतन वृद्धि तथा दूसरी पदोन्नति के फलस्वरूप देय होगी। इन दोनों वेतन वृद्धियों की गणना हेतु पदोन्नति की तिथि के पूर्व का मूल वेतन लिया जाएगा। उदाहरणस्वरूप, यदि पदोन्नति के पूर्व तिथि को मूल वेतन ₹0 100/- था तो प्रथम वेतन वृद्धि ₹0 100/- पर तथा द्वितीय वेतन वृद्धि की गणना ₹0 103/- पर की जाएगी।

2. यदि कोई कार्मिक पदोन्नति की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है, तो उस कार्मिक का वेतन आदेश संख्या 320/मा०सं० (04)/उ०निर्दित०/2009-43-मा०सं० (04)/2008 दिनांक 28.02.2009 के प्रस्तर-11 (1) में निहित प्रक्रियानुसार निर्धारित किया जाएगा। यदि कार्मिक की पदोन्नति दिनांक 02 जुलाई से 01 जनवरी तक हुई है, तो उसे अगली वेतन वृद्धि अनुवर्ती 01 जुलाई को देय होगी। उदाहरण - किसी कार्मिक की पदोन्नति यदि 02 जुलाई, 2006 से 01 जनवरी 2007 तक हुई है, तो उसे अगली वेतन वृद्धि 01 जुलाई 2007 को देय होगी। यदि पदोन्नति किसी वर्ष में 02 जनवरी, से 30 जून तक हुई है तो उसे अगले वेतन वृद्धि अगले वर्ष की 01 जुलाई को देय होगी। उदाहरणस्वरूप किसी कार्मिक की पदोन्नति यदि 02 जनवरी, 2006 से 30 जून, 2006 तक हुई है, तो उसे अगली वेतन वृद्धि 01 जुलाई, 2007 को देय होगी।

उपर्युक्त सन्दर्भित कार्यालय झाप संख्या 320/मा०सं० (04)/उ०निर्दित०/2009-43-मा०सं० (04)/2008 दिनांक 28.02.2009 में उक्त व्यवस्था को समायोजित समझा जाए तथा इसकी शेष व्यवस्थायें/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।



अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या 550(1) मा०सं० (04)/उ०निर्दित०/2009-43-मा०सं० (04)/2008, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा० ऊर्जा मंत्रीजी, उ०प्र० के निजी सचिव।
2. सचिव, उ०प्र० शासन, ऊर्जा विभाग बापू भवन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
5. समस्त निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० शक्ति भवन लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं 2), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० शक्ति भवन लखनऊ।
8. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०।
10. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०।
11. लेखाधिकारी, वेतन एवं लेखा, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. समस्त अधिकारी, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० (मुख्यालय) शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. अधीक्षण अभियन्ता (प्रशिक्षण), कक्ष संख्या 906, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० की वेबसाइट www.uprvunl.org पर अपलोड करने हेतु।
14. कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

आज्ञा से


(एस०क० सबसेना)

महाप्रबन्धक (मा०सं०)